# न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–89/2017–18 राज्य बनाम पंकज कुमार

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 07.11.2017 | ***आदेश***<br>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2739/डी0शा0, दिनांक 22.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या–483/2017 दिनांक 14.7.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री मकरू हेमब्रम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक लाल रंग का सी0सी0 डाउन मोटर साईकिल गाड़ी नं0–BR-34-9545 के पीछे बंधा प्लास्टिक की बोरी से रॉयल स्टेग कम्पनी का 750 एम0एल0 का 01 (एक) बोतल , रॉयल स्टेग कम्पनी 350 एम0एल0 का 03 (तीन) 180 एम0एल0 का 45 (पैतालिस) बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है।<br>अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:–<br>जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि खगड़िया सोनमनखी रोड में एक व्यक्ति लगातार अवैध शराब लेकर आता है एवं बेचता है तथा आज भी आने वाला है। इस सूचना पर वे थाना में प्रतिनियुक्त टाईगर मोबाईल सि0–95 राज कुमार राय एवं सि0–313 विक्रम कुमार को साथ लेकर दो मोटरसाईकिल से प्रस्थान किये तथा बाजार समिति के पास जाकर दोनों टाईगर मोबाईल को अपनी योजना से अवगत कराया। करीब 21.10 बजे एक व्यक्ति लाल रंग की सी0डी0 डॉन मोटरसाईकिल नं0–बी0आर0 34 9545 जिसके पीछे एक प्लास्टिक की बोरी में कुछ बंधा हुआ था गाड़ी से गुजरा तो उक्त मोटर साईकिल चालक को टाईगर मोबाईल के सहयोग से पीछा किया तथा रोज वर्ड स्कूल से कुछ दूरी पहले पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विकाश यादव पे0 ब्रहमदेव यादव, सा0–चम्पानगर, सन्हौली, थाना–चित्रगुप्तनगर , जिला–खगड़िया बताये। मोटरसाईकिल के पीछे बंधा प्लास्टिक के बोरा का तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में 1. रॉयल स्टेग विदेशी शराब का 01 बोतल 750 एम0एल0 2. रॉयल स्टेग विदेशी शराब 350 एम0एल0 का | |

03 बोतल तथा 3. देशी शराब 45 पाउच 200 एम0एल0 का बरामद किया गया।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

पंकज कुमार पे0—महेश्वर प्रसाद महतो, ग्राम पटेल नगर सन्हौली थाना—चित्रगुप्तनगर, जिला—खगड़िया को डी0बी0नं0 339 दिनांक 26.9.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0नं0 338/विधि, दिनांक 26.09.17 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया।

डी0बी0नं0—51/विधि, दिनांक 28.08.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी तथा डी0बी0नं0291/विधि, दिनांक 07.09.17 से स्मारित किया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने पत्रांक 1324/ परि0 दिनांक 13.09.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या—BR34 9545 चेचिस नं0—05D27F24962 इंजन न0—05D27F23897 मोटर साईकिल अपाची का का निबंधन पंकज कुमार पिता—महेश्वर प्रसाद महतो, ग्राम—पटेल नगर, सन्हौली, जिला—खगड़िया के नाम से पंजीबद्ध है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जप्त मोटरसाईकिल पूर्व में उनका था जिसे उन्होंने विकास कुमार यादव पिता—स्व0 ब्रहमदेव यादव, साकिन—सन्हौली, थाना—चित्रगुप्तनगर, जिला—खगड़िया के हाथों दिनांक 21. 06.2011 को ही बेच दिया था। उन्होंने बिक्री संबंधी आवश्यक कागजात की छायाप्रति भी संलग्न किया है। उनके द्वारा कांड संख्या—483/2017 थाना—चित्रगुप्तनगर, खगड़िया से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2739/हि0शा, दिनांक 22. 08.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 चित्रगुप्तनगर थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या—BR34 9545 चेचिस नं0—05D27F24962 इंजन न0—05D27F23897 मोटर साईकिल अपाची जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया

कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके वाहन से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है किः–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या–BR34 9545 चेचिस नं0–05D27F24962 इंजन न0–05D27F23897 मोटर साईकिल अपाची है जो जप्त कर मुफ्फसिल थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. .जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या–BR34 9545 चेचिस नं0–05D27F24962 इंजन न0–05D27F23897 मोटर साईकिल अपाची मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

| आदेश की क्रम सं० और तारीख 1 - | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|
| | डी० बी० नं० 448 / विधि, दिनांक 27/11/2017<br>प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।<br>प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।<br><br>प्रभारी पदाधिकारी<br>जिला विधि शाखा,<br>खगड़िया।<br>27/11/17 | |